

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-316/2019

राम प्रवेश सिंह

..... याचिकाकर्ता (एस)

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

..... विपक्षी पार्टी (एस)

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ता के लिए : श्री चंचल जैन, अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष के लिए : सुश्री पिकी तिवारी, ए०जी० के ए०सी०

विपक्षी पक्ष सं० 7 के लिए : श्री रूपेश सिंह, अधिवक्ता

03/17.12.2021 यह याचिका डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-3360/2017 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जिसे दिनांक 22.1.2019 के आदेश का पालन न करने के लिए व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने निवेदन किया कि अनजाने में इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सका। वह आगे कहता है कि जैसे ही रिट याचिका को पुनःस्थापित किया जाता है, वह रजिस्ट्री द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर कर देगा। वह बिना शर्त माफी की मांग करता है।

पूर्वोक्त सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका की अनुमति है। नतीजतन, डब्ल्यूपी० (एस०) सं०-3360/2017 को रिट याचिका में रजिस्ट्री द्वारा बताए गए त्रुटियों को तीन सप्ताह के भीतर दूर करने के निर्देश के साथ अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया०)